छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 574/2007

1. **श्री ए0के सिंह,** - *अपीलार्थी*
प्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 उद्योग संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 07 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ए0के0 सिंह द्वारा दिनांक 11.10.2006 को जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें भ्रामक जानकारी दी जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.02.2007 को अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर उनके द्वारा दिनांक 21.03.2007 को आदेश पारित कर अपील अमान्य की गई, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 08.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में दिनांक 24.08.2007 को यह आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को संबंधित रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण कराया जावे और जिन दो बिन्दुओं पर त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाना बता रहे हैं, उन्हें पुन: और स्पष्ट जानकारी प्रदान कराया जावे । प्रकरण में अंतिम सुनवाई के दिन प्रति अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ था, अत: एकतरफा कार्यवाही की गई । अपीलार्थी ने अंतिम सुनवाई के दिन यह नही बताया है कि दिनांक 24.08.2007 के आदेश के पालन में उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है अथवा नही ?, किन्तु उनके द्वारा पुन: यह उल्लेख किया गया और लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें जो जानकारी दी गई है, वह नियम के अनुसार न होकर असत्य है । वस्तुत: उनके विरूद्ध की जा रही विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रति अपीलार्थी ने उनके आवेदन के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में जानकारी को गलत बता रहे हैं । इस संबंध में वे नियमों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं।

जो भी नियम हैं वह अपने स्थान पर स्पष्ट है और उन्हीं के आधार पर वे स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और विभागीय जांच गलत की जा रही है तो अपने पक्ष में लिख सकते हैं, इसके लिए अधिकारियों को नियम की व्याख्या करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता । अत: वैसे तो इन प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार किया जा सकता था, किन्तु चूंकि जन सूचना अधिकारी ने इसका उत्तर दे दिया है, अत: संचालक, उद्योग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण कराया जावे और यदि जन सूचना अधिकारी ने जो उत्तर दिया है, वह नियम के अनुकूल नही है तो इसके लिए जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे । प्रकरण में शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त